BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त ओसामा उर्फ रिहान उर्फ जान पुत्र मोहम्मद उस्मान अली निवासी शांतिनगर भूड ट्रांसफार्मर वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु नकबजनी जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 31.05.2022 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 392/22 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21.05.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.09.2024 को न्यायाधीश श्री चन्द्र विजय श्रीनेत (मा0 न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ओसामा उर्फ रिहान उर्फ जान को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त ओसामा उर्फ रिहान उर्फ जान का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-164/22 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-222/22 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-224/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-392/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-1889/21 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-942/20 धारा 356 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-1250/20 धारा 363/366 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-55/22 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर